



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय : महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून

E-mail : dipr.sm@gmail.com

दूरभाष : 0135-2662971 / फ़ैक्स : 2662334

Website : www.uttarainformation.gov.in

पत्रांक : - 16 / सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र. फो.फि.)42 / 2015

दिनांक : 10 जनवरी, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु वेबसाइटों को विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किये जाने से संबंधित निविदा पत्रांक : 233 / सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र.इलै.)42 / 2015, दिनांक-02 अगस्त, 2019 तथा विभागीय पत्रांक संख्या-330 / सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र.इलै.)42 / 2015, दिनांक-26 अक्टूबर, 2019 के क्रम में श्रेणी-क में सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल/फर्म द्वारा प्रदान की गई सहमति के क्रम में अंतिम रूप से श्रेणी-ख में निम्नानुसार न्यूज पोर्टल को सूचीबद्ध किया जाता है :-

क्र.सं.	फर्म का नाम / वेबसाइट का नाम
1	2
1	www.thelifeline.today.com डी.डी.मिस्तल, S-3 B, रेसकोर्स बैली नियर पुलिस लाइन दे.दून। मो.9412951424 ddmittal53@gmail.com
2	www.navinsamachar.com श्री नवीन चन्द्र जोशी, राष्ट्रीय सहारा कार्यालय पॉपुलर कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल। मो. 9412037779 saharanavinjoshi@gmail.com
3	www.vichareknaisoch.com राकेश विजल्लवाण, प्रकाश विहार, लेन नं.-1, अपोजिट प्रसार भारती हरिद्वार, बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून। मो.98889777918 bijalwanrakesh@gmail.com
4	www.tirthchetna.com सुदीप पंचमैया, 14 बीघा मुनिकिरेती नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल। मो0 9410722400 tirthchetna@gmail.com
5	www.voiceofnationalnews.com मनीष वर्मा, 10, गांधी रोड, देहरादून। मो.7579193109 voiceofnation18@gmail.com
6	www.newspost.com स्टूडियो-9, मीडिया सर्विसेस प्रा.लि., 5/ 16, बसंत, विहार एन्क्लेव, दे.दून। मो.9811996008 ambuj@newspost.live
7	www.hellouttarakhandnews.com Dr. Rajeev Dhar, Hello Uttarakhand News B-19, Transport Nagar, Dehradun. Mob 7409965489, hellouttarakhandnews@gmail.com
8	www.udaydinman.co.in संतोष बेंजवाल, द्वारा-विपिन कोठियाल, कारगी चौक, निकट जे.पी.प्लाजा, दे.दून। मो.9897094986 udaydinmaan@gmail.com
9	www.news127.com नवीन चौहान, 41-शांतिपुरम कालोनी, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार। मो.9411111733 naveen.chauhan2009@gmail.com

10	www.uttarakhandnewsnetwork.com विनय विद्या सागर जोशी, 219/2, शांति कुंज, जोहरी गांव, सिनोला, देहरादून। मो.9458304370 uttarakhandnewsnetwork@gmail.com
11	www.dainikkhabrlayehain.com सुशील त्यागी, टी.एच.डी.सी.कालोनी, वसुन्धरा एन्क्लेव, देहरादून। मो.8077567151 dainikkhabrlayehain@gmail.com
12	www.indiatimesgroup.com रंजना अमोली, 156, बट्टीश कालोनी, मुख्य मार्ग, निकट गली-05, धर्मपुर डांडा, देहरादून। मो.9719113333 indiatimesgroup@gmail.com
13	www.sankhnaad.com Niru Joshi 274, sai vihar, virbhadraroad, awas vikas Rishikesh Dehradun. Mob. 9412963069 sankhnaad.com.newsportel@gmail.com
14	www.fyoli.com world IT Dimensional Solution H-18, Devipur, umedpur, dehradun, uttarakhand. Mob-7983182649 Fyoli.ukd@gmail.com
15	www.uttarakhandmedia.com हिलवर्षा मीडिया ग्रुप, एकता इन्क्लेव, लेन नम्बर 04, रिंग रोड समीप सैमरॉक स्कूल देहरादून। मो.9917077447 meerarawat.dehra@gmail.com
16	www.sunehradarpan.com बालेश गुप्ता, जी.-200, नेहरू कालोनी, देहरादून। मो.9759375868 / 8279734025
17	www.trueindiannews.com हिमांशु शर्मा, 44, तिलक बाजार रोड, सुभाष नगर, क्लेमनटाउन, देहरादून। मो.9997327178 sharmah747@gmail.com
18	www.uttarakhandnews24.com अखिलेश डिमरी, आधारशिला साल्यूशन एल.एम.पी.भोपालपानी, बड़ासी, रायपुर, देहरादून। मो.9756602731 vinay@adharshillasolutions.com
19	www.dailytruthnews.com Ashma Zabi, 173, धर्मपुर, देहरादून। मो. 7017768043 dailytruthnews1@gmail.com
20	www.uttarakhandherald.com गणेश सिंह, रतनपुर सुखरौ, पैंटर नाटर स्कूल के पास, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। मो.9411110048 uttarakhandherald.com@gmail.com
21	www.twnews.in अपरोज खॉ, शर्मा कालोनी ब्राह्मणवाला निरंजनपुर देहरादून। मो0-9761360107 timewitness@yahoo.com
22	www.emediatoday.com पवन नैथानी, म.न.72, लेन नं.1, गांधीनगर, बट्टीश कालोनी, देहरादून। मो0-9456387871 pawannaithani1991@gmail.com
23	www.lekhanadda.com प्रदीप कुमार, 245/1, श्यामपुर, पो.ओ.अम्बीवाला, प्रेमनगर, देहरादून। मो0 8755690446 pradeepdwivedi4@gmail.com
24	www.thenationalnews.org जितेंद्र सिंह, शिवालिक एन्क्लेव, मेहूवाला माफी, देहरादून। मो.9161784399 / 7302011279 thenationalnews.india@gmail.com
25	www.the95news.com ए-55, रायपुर रोड, पेट्रोल पम्प के पास, देहरादून। मो.9897914034 Info.the95khabar@gmail.com

26	www.bsnknews.com संदीप जनधारी, 1 डी/ 14, आदर्श कालोनी, पो.ओ.नेहरूग्राम, देहरादून। मो.8755799992 bsnknews@gmail.com
27	www.tarunhind.com पदमपुर, मोटाढाक, दुर्गापुर चौक, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। Mob-8057754581 tarunhindmedia@gmail.com
28	www.devbhoomisamvad.com मीना नेगी, आनन्द भवन, गली नं.-4, साईपुरम, बंजारावाला, कारगी रोड, देहरादून। मो.9899020364 s.s.negi2000@gmail.com
29	www.thehawk.in पुष्करराज कपूर, ई-63, इंडस्ट्रियल एरिया, बहादुराबाद, हरिद्वार। मो.9997775577 rishabh54321@gmail.com
30	www.gangalahar.com भारतेन्दु शंकर पाण्डेय, 182, बनखंडी महाराष्ट्र निवास, रेलवे रोड, बनखंडी, ऋषिकेश, देहरादून। मो. 7895500168 gangalahar@gmail.com
31	www.gangotrisamachar.com Rajendra Bhatt, Flat. No. 408 (42) गुलमोहर अपार्टमेंट, मोथरोवाला रोड, देहरादून। मो.9897798887 gangotrisamachar@gmail.com

उपरोक्त सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल/फर्मों हेतु निम्नानुसार विज्ञापन बैनरवार व वीडियो एड की मासिक दरें निर्धारित की गई हैं :-

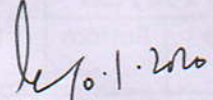
क्र. सं.	728 x 90 Pixel		468 x 60 Pixel		300 x 250 Pixel(Top)	160x600 Pixel (Side)	336x280 Pixel (Middle)	250x250 Pixel (Middle)	200x200 Pixel (Middle)	Vedio	
	Top	Bottom	Top	Bottom						5 Sec to 30 sec.	30 Sec. to 2 Mint.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	₹55000	₹35000	₹30000	₹25000	₹30000	₹40000	₹30000	₹20000	₹15000	₹10,000	₹20,000

उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइटों को निम्नानुसार शर्तों के अधीन विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जाता है :-

1. सूचीबद्ध फर्म को रु. 100/- के स्टाम्प पेपर में इस विभाग के साथ अनुबन्ध करना होगा। प्रारूप संलग्न।
2. सूचीबद्ध फर्म को रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) धनराशि का कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में विभाग में बंधक करनी होगी, जो महानिदेशक, सूचना के नाम (एकाउन्ट पेई), सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में आगामी 12 माह हेतु वैध होगी।
3. उक्त सूचीबद्धता एक वर्ष अथवा नवीन सूचीबद्धता तक मान्य होगी।
4. वेबसाइट सूचना विभाग की घोषित दरों से कम किसी अन्य दर पर कोई विज्ञापन नहीं चलायेंगे, ऐसा उन्हें लिखित स्व घोषणा पत्र देना होगा।
5. किसी भी दशा में विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
6. फर्म द्वारा जी.एस.टी. नम्बर प्रदान करने पर ही भुगतान किया जायेगा। यह जिम्मेदारी सर्वथा सम्बन्धित फर्म की होगी कि वे नियमानुसार सर्विस टैक्स का दावा करें।
7. विभाग द्वारा केवल Standard Size Web Banners (वेब बैनर) के रूप में Display विज्ञापन दिया जायेगा, जिसके अधीन वेबसाइट को 24x7 प्रतिमाह निरंतर वेब बैनर डिस्प्ले रखना होगा। जिस स्थान हेतु डिस्प्ले बैनर दिया जायेगा, वेबसाइट द्वारा उस स्थान पर किसी अन्य एड सर्वर से कोई विज्ञापन नहीं लिया जायेगा। एक माह से कम अवधि हेतु यह दरें दैनिक आधार पर प्रोराटा होंगी।
8. एकमुश्त मासिक दरों में नियमानुसार लागू सरकारी करों को छोड़कर सभी व्यय समाहित होंगे।
9. यदि उपरोक्त वेबसाइटों का मोबाइल वर्जन उपलब्ध है, तो सभी बैनर आकारों के लिये Mobile Sites में 320x50 Pixel और 320x100 Pixel के बैनर आकार लगाना अपेक्षित होगा, जिनके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

10. सभी वेबसाइट प्रतिमाह की 05 तारीख तक गत माह का गूगल एनालिटिक डाटा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के साथ उपलब्ध करायेंगी। ऐसा न होने या विज्ञापन निर्गत करने से रोका जा सकता है। सूचना विभाग आवश्यकता पड़ने पर किसी तृतीय पक्ष से उक्त डाटा की जांच करा सकता है।
11. यदि किसी वेबसाइट की विजिटर संख्या प्रत्येक श्रेणी हेतु निर्धारित न्यूनतम विजिटर संख्या से लगातार तीन माह कम पाई जाती है, तो उसकी सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है अथवा नीचे की अनुमन्य श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
12. वेबसाइट सूचीबद्धता होने का यह आशय नहीं होगा, कि वेबसाइट विज्ञापन हेतु सर्वथा अधिकारी है, विभागीय आवश्यकता व प्रचार-प्रसार की दृष्टि से ही वेबसाइट को विज्ञापन दिया जायेगा। बजट की उपलब्धता पर ही दिये गये विज्ञापन का भुगतान किया जायेगा। सूचीबद्ध वेबसाइट को विज्ञापन देने अथवा न देने का अधिकार सर्वथा महानिदेशक, सूचना को होगा।
13. सूचना विभाग द्वारा मांग करने पर वेबसाइट को अपना **Google Analytic Access** प्रदान करना होगा, जिससे उनके डाटा का सत्यापन किया जा सके।
14. न्यूज पोर्टल/वेबसाइट की कोई भी ऐसी गतिविधि, जैसे भ्रामक अथवा तथ्यहीन समाचारों का प्रकाशन किया जाता हो, जिसके कारण राज्य सरकार की छवि धूमिल होती हो तथा पुलिस जांच में संबंधित न्यूज पोर्टल अथवा उसके स्वामी के विरुद्ध प्रतिकूल आख्या/आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने पर महानिदेशक द्वारा सूचीबद्धता निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है।
15. उक्त सूचीबद्धता औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि विभागीय जांच अथवा एल.आई.यू. रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि विभाग में सूचीबद्धता के समय जमा किये गये अभिलेख अपूर्ण व असत्य है, तो तदनुसार सूचीबद्धता निरस्त कर दी जायेगी।

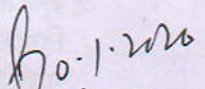
उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइटों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्र प्राप्ति के 05 दिन के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात ही विभागीय स्तर पर वेबसाइट सूचीबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।


 (डॉ. अनिल चन्दोला)
 अपर निदेशक
 कृते महानिदेशक

संख्या : 16 / सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र. फो.फि.)42 / 2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित फर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक निदेशक, सोशल मीडिया, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून।


 (डॉ. अनिल चन्दोला)
 अपर निदेशक
 कृते महानिदेशक

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक..... जनवरी, 2020 को महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि के रूप में अपर निदेशक, डॉ. अनिल चन्दोला, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है तथा श्रीमंत..... जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुबंध होने की तिथि से आगामी 12 माह अथवा नवीन सूचीबद्धता तक निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्पादित किया गया है :-

1. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की तिथि से आगामी 12 माह तक के लिए रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) धनराशि कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में विभाग में बंधक करनी होगी, जो महानिदेशक, सूचना के नाम (एकाउन्ट पेई), सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी।
2. प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा, कि वह कभी भी बिना किसी कारण बताये द्वितीय पक्ष की विभाग में सूचीबद्धता को निरस्त कर सकता है।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा वेबसाइट सूचना विभाग की घोषित दरों से कम किसी अन्य दर पर कोई विज्ञापन नहीं चलायेंगे, ऐसा उन्हें लिखित घोषणा पत्र देना होगा, जो कि अनुबंध का भाग होगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा सर्विस टैक्स नम्बर प्रदान करने पर ही भुगतान किया जायेगा। यह जिम्मेदारी सर्वथा द्वितीय पक्ष की होगी कि वे नियमानुसार सर्विस टैक्स का दावा करें।
5. प्रथम पक्ष द्वारा केवल Standard Size Web Banners (वेब बैनर) के रूप में Display विज्ञापन दिया जायेगा। जिसके अधीन वेबसाइट को 24x7 प्रतिमाह अथवा निर्धारित अवधि तक निरंतर वेब बैनर डिस्प्ले रखना होगा। जिस स्थान हेतु डिस्प्ले बैनर दिया जायेगा, वेबसाइट द्वारा उस स्थान पर किसी अन्य एड सर्वर से कोई विज्ञापन नहीं लिया जायेगा। एक माह से कम अवधि हेतु यह दरें दैनिक आधार पर प्रोराटा होंगी।
6. यदि द्वितीय पक्ष का मोबाइल वर्जन उपलब्ध है, तो सभी बैनर आकारों के लिये Mobile Sites में यथोचित आकार के बैनर आकार लगाना अपेक्षित होगा, जिनके लिये प्रथम पक्ष द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिमाह की 05 तारीख तक पिछले माह का गूगल एनालिटिक डाटा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना होगा। ऐसा न होने पर प्रथम पक्ष द्वारा विज्ञापन निर्गत करने पर रोक लगायी जा सकती है। प्रथम पक्ष द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किसी तृतीय पक्ष से उक्त डाटा की जांच करायी जा सकती है।
8. यदि द्वितीय पक्ष की विजिटर संख्या प्रत्येक श्रेणी हेतु निर्धारित न्यूनतम विजिटर संख्या से लगातार तीन माह कम पाई जाती है, तो उसकी सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है अथवा नीचे की अनुमन्य श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
9. द्वितीय पक्ष की सूचीबद्धता होने का यह आशय नहीं होगा कि वेबसाइट विज्ञापन हेतु सर्वथा अधिकारी है, विभागीय आवश्यकता व प्रचार-प्रसार की दृष्टि से ही वेबसाइट को विज्ञापन दिया जायेगा। बजट की उपलब्धता पर ही दिये गये विज्ञापन का भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को विज्ञापन देने अथवा न देने का अधिकार सर्वथा महानिदेशक, सूचना का होगा।
10. प्रथम पक्ष द्वारा मांग करने पर द्वितीय पक्ष को Google Analytic Access प्रदान करना होगा, जिससे उनके डाटा का सत्यापन किया जा सके।
11. प्रथम पक्ष द्वारा गूगल एनालिटिक डाटा के अन्तर्गत visitor Source भी देखा जा सकता है।
12. यद्यपि प्रथम पक्ष द्वारा यथा संभव डिस्प्ले बैनर्स डिजाइन कराकर द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय पक्ष को स्वयं भी बैनर्स डिजाइन करने होंगे, जिसके लिये कोई अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
13. विधान सभा/आम चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही द्वितीय पक्ष को विज्ञापन प्रसारण तत्काल रोकना होगा।

14. **द्वितीय पक्ष** की कोई भी ऐसी गतिविधि, जैसे भ्रामक अथवा तथ्यहीन समाचारों का प्रकाशन किया जाता हो, जिसके कारण राज्य सरकार की छवि धूमिल होती हो तथा पुलिस जांच में संबंधित न्यूज पोर्टल अथवा उसके स्वामी के विरुद्ध प्रतिकूल आख्या/आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने पर महानिदेशक द्वारा सूचीबद्धता निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है।
15. उक्त सूचीबद्धता औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि विभागीय जांच अथवा एल.आई.यू. रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि विभाग में सूचीबद्धता के समय जमा किये गये अभिलेख अपूर्ण व असत्य है, तो तदनुसार सूचीबद्धता निरस्त कर दी जायेगी।
16. **प्रथम एवं द्वितीय पक्ष** के मध्य किसी भी दशा में विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
17. विभागीय निविदा पत्रांक-233/सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.फि.)42/2015, दिनांक 02 अगस्त, 2019 में निहित शर्तें इस अनुबंध पत्र का अभिन्न अंग होगी।

हस्ताक्षर एवं नाम द्वितीय पक्ष

.....

हस्ताक्षर एवं नाम प्रथम पक्ष

.....